न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :— 16/2018
दायर दिनांक :— 10/07/2018
निर्णय दिनांक :— 07/07/2022

उनवान

1. श्रीमती दाखीबाई पुत्री किशोर पत्नी उदयराम जाट निवासी झाजडों का खेड़ा हा.मु. उसरोल तहसील भूपालसागर
2. श्रीमती शंकरीबाई पुत्री किशोर पत्नी मांगीलाल जाट निवासी झाजडों का खेड़ा हा.मु. मेन्दुरिया तहसील रेलमगरा
3. श्रीमती बदामीबाई पुत्री किशोर पत्नी चतरभुज जाट निवासी झाजडो का खेड़ा हा.मु. बनेडिया तहसील रेलमगरा
4. स्व. श्रीमती रतनीबाई पुत्री किशोर पत्नी जवाहरमल जाट निवासी तस्वारिया तह. कपासन (फौत)
   4—1 श्री बद्रीलाल पिता जवाहरमल जाट निवासी तस्वारिया तहसील कपासन
   4—2 श्री दिनेश पिता जवाहरमल जाट निवासी तस्वारिया तहसील कपासन
   4—3 पुष्पा पुत्री जवाहरमल जाट निवासी तस्वारिया तहसील कपासन

वादी

बनाम

1. श्री दिनेशचन्द्र पिता तोलीराम जाट निवासी झाजडों का खेड़ा तहसील भूपालसागर
2. श्री तोलीराम पिता हजारी जाट निवासी झाजडों का खेड़ा तहसील भूपालसागर
3. भूमिधारी, उप पंजीयक अधिकारी एवं तहसीलदार, भूपालसागर
4. पटवारी, पटवार हल्का फलासिया तहसील भूपालसागर

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अंतर्गत धारा—212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति :— 1. श्री कन्हैयालाल माली
2. श्री जगदीशचन्द्र

: : निर्णय : :

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम फलासिया पटवार हल्का फलासिया तहसील भूपालसागर में स्थित साबिक आ.सं. 201 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा आराजियात का आवंटन किशोर पिता जोधा जाट निवासी झाजडों का खेड़ा को हुआ था, वजह सबूत गैर खातेदारी की जमाबंदी सम्वत 2022 [illegible] संलग्न है। प्रार्थीगण के पिता एवं नाना के वारिसान, किशोर (फौत), दाखीबाई, शंकरीबाई, बदामीबाई, रतनीबाई (फौत), उदीबाई पुत्रियां, उदीबाई बेवा, बद्रीलाल, दिनेश पुत्र व पुष्पा पुत्री है। किशोर जी की मृत्यु के बाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.07.15 10:28:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला—चित्तौडगढ (राज.)

आराजियात का नामान्तरण उपरोक्त वारिसान सजरे के अनुसार प्रार्थीगण के नाम पर हक हिस्से अनुसार खोला जाना चाहिए था लेकिन पटवार हल्का ने विधि विरूद्ध ईन्तकाल नं. 383 फैसल दिनांक 30.06.1983 को किशोर पिता जोधा जाट के बजाय उदीबाई बेवा किशोर जाट निवासी झाजडों का खेड़ा के नाम पर खोला गया जो गलत होकर खारिज योग्य है। सम्वत 2044 से 2049 तक सेटलमेंट हुा जिसमें सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा आराजियात को ईन्तकाल संख्या 383 को नजर अन्दाज कर बिना किसी अधिकार के मन मरजी से विवादित आराजियात को पुनः किशोर पिता जोधा जाट के नाम दर्ज कर दी गई तथा बाद सेटलमेंट आ.सं. 201 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा के नये नंबर आ.सं. 497 रकबा 0.57 है. बने, जमाबंदी सम्वत 2050 से 2051 तक व मिलान शीट संलग्न है। अप्रार्थी संख्या 1 को बिना किसी कानूनी अधिकार के किशोर पिता जोधा जाट का वारिस बनाकर उक्त आराजी संख्या 497 रकबा 0.57 है. का वारिसान नामान्तरण संख्या 64 फैसल दिनांक 28.07.1997 को फैसल कर दिया जब कि इसी आराजियात के साबिक आ.सं. 201 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा का वारिसान नामान्तरण संख्या 383 किशोर पिता जोधा जाट के बजाय उदी बेवा किशोर के नाम फैसल कर दिया था इस प्रकार अप्रार्थीगण संख्या 1 के नाम पर बिना किसी कानूनी अधिकार के अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत कर उक्त विवादित आराजियात का नामान्तरण फैसल करवा लिया। इस कारण अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि मूल वाद के निस्तारण तक उक्त वाद वर्णित आराजियात को किसी अन्य को मुन्तकिल नहीं करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया, अप्रार्थीगण को सम्मन जारी कर तलब किया गया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं वकील प्रार्थी की अन्तरिम बहस पर दिनांक 10.07.2018 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत किया, जवाब में निवेदन किया कि मौजा फलासिया पटवार हल्का फलासिया में स्थित आ.सं. 201 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा कृषि आराजियात का आवंटन किशोर पिता जोधा जाट निवासी झाजडो का खेडा का होने का कथन सत्य है तथा उक्त आराजी जरिये मिसल नंबा 459/1972 से आवंटित होकर जरिये इंतकाल 189 से किशोर को गैर खातेदारी अधिकार के रूप में दर्ज्र किया है। किशोर की मृत्यु के पश्चात दर्शाया गया सजरा सही है तथा जरिये इंतकाल 383 से दिनांक 30.06.83 को किशोर की मृत्यु के पश्चात इंतकाल उसकी बेवा उदीबाई के नाम पर खोल गया, जो सही है। प्रार्थीगण उक्त आराजी के वारिस एवं अधिकारी नहीं है, चूंकि वर्ष 1983 में अपनी पिता की सम्पत्ति में किसी भी पुत्री को हक अधिकार से सम्पत्ति प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था, पुत्रियों का वर्ष 2005 में कानून में संशोधन किया जाकर पिता के स्वर्गवास के पश्चात सम्पत्ति में हक दिया गया है। नामान्तरण जो उदीबाई के नाम पर खोला गया वह सही ह, उसको गलत बताकर खारिज नहीं किया जा सकता है। सेटलमेंट के बाज वर्तमान में आ.सं. 497 रकबा 0.57 है. भूमि होना सही है। आ.सं. 497 रकबा 0.57 है. भूमि जरिये इंतकाल 64 से प्रतिवादी/विपक्षी दिनेश के नाम पर विधि अनुसार दर्ज हुई है तथा उक्त इंद्राज की जानकारी प्रार्थीगण को इंतकाल खोले जाने के तुरन्त पश्चात ही दिनांक 25.07.1997 को चुकी है उसके बाद भी प्रार्थीगण ने इस नामान्तरण के खिलाफ किसी भी प्रकार की अपील/कार्यवाही [illegible] प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है तथा वर्ष 1997 में भी माता–पिता [illegible] में उनकी मृत्यु के पश्चात पुत्रियों को सम्पत्ति में कोई अक अधिकार का [illegible] इसलिये प्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के भी अधिकारी [illegible] स. 1 राजस्व रिकार्ड में खातेदार है और उसका नाम राजस्व रिकार्ड से नहीं हटाया जा सकता है और नह ही प्रार्थीगण उक्त आराजी को अपने नाम पर खातेदारी, काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी हैं। राजस्व कर्मचारियों ने विधि

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.07.15 10:28:33 IST
Reason: Self Attested

[illegible] कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

अनुसार कार्यवाही करते हुए विपक्षी सं. 1 को खातेदार/काश्तकार घोषित किया तभी से उसका व विपक्षी सं. 2 का कब्जा व उपयोग/उपभोग होकर आज भी कब्जा मौके पर है। प्रार्थीगण किसी भी प्रकार से हमें पाबन्द करने के अधिकारी नही हैं व कोई डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वाद कारण दिनांक 15.03.2018, 05.06.2018 दर्शाया गया जो गलत है उक्त विवादग्रस्त आराजियात के संबंध में नामान्तरणों एवं राजस्व रिकार्ड की जमाबंदियों की जानकरी प्रार्थीगण को वर्ष 1997 से निरन्तर है जिसके बावजूद भी प्रार्थीगण ने झूठा वाद कारण बताकर यह वाद प्रस्तुत किया, वाद कारण नहीं होने से खारिज किया जाने योग्य है। पत्रावली बहस हेतु नियत की जाकर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई, प्रस्तुत जवाब एवं वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में सम्पूर्ण तथ्यों एवं बहस के आधार पर अप्रार्थीगण के जवाब अनुसार सुविधा सन्तुलन साबित नहीं कर पाऐ है तथा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी एवं न्यायिक दृष्टांत से प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है तथा उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अप्रार्थीगण के पक्ष में ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया जाता है कि अप्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जावे। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 10.07.2018 अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं दोनों पक्ष मूल वाद का निस्तारण होने तक राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाई रखें। निर्णय आज दिनांक 07.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भावना सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर
जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.07.15 10:28:33 IST
Reason: SelfAttested